# कैम्पा–पृष्ठ भूमि

- किसी भी वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा दो (2) के अनुसार भारत सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

- यह अनुमति भारत सरकार द्वारा इन प्रतिबन्धों पर दी जाती है कि उपयोक्ता अभिकरणों द्वारा प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण, दाण्डिक/अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य **(NPV)** एवं अन्य शर्तों हेतु निर्धारित धनराशि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 05 मई 2006 के अनुपालन में भारत सरकार स्तर पर स्थापित एड–हॉक कैम्पा फण्ड में जमा कराये।

- विगत् वर्षों में एड–हॉक कैम्पा के राज्य खाते में जमा कुल धनराशि के सामान्यतः 10 प्रतिशत (अर्जित ब्याज) आउट–ले का वृक्षारोपण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, अवस्थापना विकास आदि कार्यों की वार्षिक प्रचालन योजना (A.P.O.) कार्यपालक समिति द्वारा तैयार की जाती रही है, जिसे अभिचालन समिति के अनुमोदनोपरान्त एड–हॉक कैम्पा भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाता रहा है।

- एड–हॉक कैम्पा, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक प्रचालन योजना के सापेक्ष स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य कराये जाते रहे हैं।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.08.2018 के अनुसार **Compensatory Afforestation Fund Act, 2016** के प्राविधान 30.09.2018 से प्रभावी किये गये तथा अधिसूचनाओं दिनांक 14.09.2018 के द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण एवं राज्य प्राधिकरण के गठन की तारीख नियत की गयी।

CAF Act, 2016 की क्रमशः धारा–10(5), धारा–11(2) एवं धारा–11(3) के अनुसार राज्य प्राधिकरण के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत तीन समितियों का गठन किया गया है :–

| | |
|---|---|
| (क) शासी निकाय (Governing Body) | मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 की अध्यक्षता में |
| (ख) अभिचालन समिति (Steering Committee) | मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में |
| (ग) कार्यपालक समिति (Executive Committee) | प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 की अध्यक्षता में |

- प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (CAF Act 2016) एवं प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 (CAF Rules 2018) के प्राविधानों के अन्तर्गत ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि–उत्तर प्रदेश'' की अधिसूचना दिनांक 22.02.2019 को जारी की गयी। CAF Act 2016 के अनुसार एड–हॉक कैम्पा, भारत सरकार के स्तर पर 07.02.2019 की तिथि तक जमा धनराशि का 90 प्रतिशत राज्य निधि में अन्तरित किया गया।

- भविष्य में वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों के क्रम में उपयोक्ता अभिकरणों से प्राप्त धनराशि सीधे राज्य निक्षेप में जमा करायी जायेगी जिसका 90 प्रतिशत राज्य निधि में तथा 10 प्रतिशत राष्ट्रीय निधि में अन्तरण किया जायेगा।

- CAF Act 2016/CAF Rules, 2018/CAF (Accounting Procedure) Rules, 2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 से वार्षिक प्रचालन योजना का राज्य बजट के माध्यम से क्रियान्वयन प्राविधानित है।

- उक्त व्यय को राज्य निधि से समायोजित किये जाने और शेष राशि लोक लेखे में ब्याज प्रदान करने और कभी न समाप्त होने वाली निधि में रखे जाने का प्राविधान है।

- नई वित्तीय व्यवस्था में लगने वाले प्रक्रियात्मक समय के कारण राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के विभिन्न निर्देशों के क्रम में वचनबद्ध वृक्षारोपण कार्यों/अनुरक्षण कार्यों एवं अन्य सदृश्य कार्यों को पूर्व वर्षों के unspent balance से किया गया।

- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन आई0ए0 संख्या 5891/2019 (रिट पिटीशन संख्या–202/95, टी0एन0 गोदावर्मन थिरूमल पाद बनाम भारत सरकार एवं अन्य में) कैम्पा निधि के उपयोग एवं कराये गये कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नीति विषयक है।

- उक्त आई0ए0 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 04.11.2019 के क्रम में कैम्पा निधि के उपयोग एवं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की कार्यवाही विषयक शपथ पत्र मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया गया।

# कैम्पा निधि से वित्त पोषित वनीकरण

## (वर्ष 2011 से वर्ष 2019)

| Compensatory Afforestation | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hectare | 1635.78 | 868.05 | 1652.73 | 45.16 | 2375.89 | 4605.24 | 1899.80 | 1051.12 | 676.59 | **14810.36** |
| No. of Plants (In lacs) | 20.12 | 12.42 | 21.52 | 1.36 | 31.92 | 53.20 | 26.57 | 15.45 | 10.03 | **192.59** |

| Non- Compensatory Afforestation | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Hectare | 4483.26 | 4613.40 | 6850.88 | 14281.41 | **30228.95** |
| No. of Plants (In lacs) | 61.42 | 61.19 | 93.94 | 176.73 | **393.28** |

# एन0पी0वी0 के अन्तर्गत कराये गये मुख्य कार्यों का विवरण

| क्र0सं0 | मद का नाम |
|---|---|
| 1 | वन एवं वन्यजीव सुरक्षा |
| 2 | वन अग्नि प्रबन्धन |
| 3 | भूमि एवं जल संरक्षण |
| 4 | सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन |
| 5 | जैव विविधता संरक्षण सम्बन्धी कार्य |
| 6 | सूचना एंव प्रौद्योगिकी |
| 7 | अवस्थापना एंव अनुरक्षण |
| 8 | शोध एवं विकास |
| 9 | क्षमता विकास |
| 10 | प्रचार प्रसार/जन जागरूक्ता कार्यक्रम |

# अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के निर्देषन में विभाग के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन शाखा द्वारा 3 वर्ष पुराने विभागीय वृक्षारोपणों (कैम्पा वृक्षारोपणों को सम्मिलित करते हुये) का Random Sampling के आधार पर 20 से 25 प्रतिशत Sampling Intensity के अनुसार अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाता है।

- कैम्पा Guidelines के अनुसार 2011–12 से 2013–14 अवधि के वृक्षारोपणों एवं एन0पी0वी0 अन्तर्गत किये गये कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तृतीय पक्ष एजेंसी NABCONS द्वारा किया गया।

- तृतीय पक्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

  - अवधि 2011–12 से 2013–14 क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन0पी0वी0 कार्य
  - **NABARD** कन्सलटेन्सी सर्विसेज

- क्षतिपूरक वनीकरण .

  वर्ष 2011–12 से वर्ष 2013–14 तक किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपणों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु 57 वन प्रभागों को चयनित किया गया। इन वन प्रभागों में वर्षवार वृक्षारोपणों की औसत सफलता प्रतिशत निम्नवत् पायी गयी :–

| वृक्षारोपण वर्ष | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| सफलता प्रतिशत | 73.01% | 71.31% | 73.64% | 77.33% |
| प्रभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर अद्यावधिक सफलता प्रतिशत | 81.33% | 76.99% | 83.34% | 84.45% |

- एन0पी0वी0 कार्य

सौर्य उर्जा यूनिट
वॉच टावर
कर्मचारी आवास
वॉटर होल
बेस कैम्प
मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य

- वर्ष 2019–20 में किये गये वृक्षारोपण (कैम्पा वृक्षारोपण को सम्मिलित करते हुये) के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु तृतीय पक्ष के रूप में FSI का चयन किया गया है। तद्नुसार उत्तर प्रदेश कैम्पा योजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 से 2018–19 के मध्य किये गये वृक्षारोपणों एवं वर्ष 2011–12 से 2019 के मध्य एन0पी0वी0 मद में किये गये कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन FSI से कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

- कैम्पा के अन्तर्गत किये गये वृक्षारोपणों के पॉलीगान को ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, जिसका अनुश्रवण FSI देहरादून द्वारा किया जा रहा है।